

हिमाचल प्रदेश सरकार  
उच्चतर शिक्षा विभाग.

संख्या: शिक्षा-11-छ(5)-2/2009-लूज. दिनांक: शिमला-171002, 23-07-2011.

“प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना”

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में विद्यार्थियों की सुविधा के लिये पाठशालाएँ काफी संख्या में पहले से ही खोल रखी हैं, फिर भी प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते हुए विद्यार्थियों को कई बार सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु पहुंचने के लिये बहुत दूरी तय करनी पड़ती है या फिर विद्यार्थियों को निजि मकान में रह कर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। इससे विशेष कर गरीब विद्यार्थियों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कई बार वे शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अतः घर से स्कूल की दूरी अधिक होने पर विद्यार्थियों हेतु यह “ प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना” बनाई गई है।

सरकारी स्कूलों में पढने वाले सभी वर्ग के विद्यार्थी, जो अपने माता पिता (parents) के मूल निवास स्थान से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी की पाठशाला में अध्ययन कर रहे हों, वे प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के लिए पात्र है। इसके लिए चाहे वे प्रतिदिन घर से विद्यालय के लिए आते हों, या माता पिता (parents) के मूल निवास स्थान से स्कूल की अधिक दूरी होने के कारण, विद्यालय के पास मकान लकर रहत हा ।

उक्त छात्रवृत्ति निम्न शर्तों के अनुसार देय होगी :-

1. यह छात्रवृत्ति हिमाचल प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं को दी जाएगी।
2. यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को प्रदान की जायेगी जो अपने माता पिता (parents) के मूल निवास स्थान से 5 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी के सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे। परन्तु, यह छात्रवृत्ति सिर्फ उन विद्यार्थियों को प्रदान की जायेगी जिनके मूल निवास स्थान की 5 किलोमीटर की परिधि में उस स्तर का कोई सरकारी विद्यालय न हो। दूरी निर्धारित करने के लिए विद्यार्थी के घर से बस द्वारा या पैदल दूरी, जो कम हों उसे आधार माना जायेगा।

3. विद्यार्थियों के माता पिता (parents) के मूल निवास स्थान से विद्यालय तक की दूरी सम्बन्धित पाठशाला के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक द्वारा सत्यापित की जाएगी।
4. यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जायेगी जो कि एक माह में जितने दिन पाठशाला चालू रही, उसमें से कम से कम 80 प्रतिशत दिन विद्यालय में उपस्थित रहें हों। यदि उपस्थिती 80 प्रतिशत या उससे अधिक होगी तो उस माह की पूरी छात्रवृत्ति मिलेगी, अन्यथा विद्यार्थी उस माह की छात्रवृत्ति के लिए हकदार नहीं होगा।
5. यह छात्रवृत्ति स्कूल के अवकाश(vacation 52 days) के दिनों के लिए देय नहीं होगी।
6. छात्रवृत्ति की राशि का व्यय मुख्यशीर्ष :-2202-80-107-15, 2202-02-796-10, 2202-02-789-02-प्रोत्साहन छात्रवृत्ति, (सून) मांग संख्या 8, 31 तथा 32 SOE "40" अन्तर्गत किया जायेगा।

छात्रवृत्ति की देय निम्नलिखित अनुसार होगी :

| दूरी              | दर प्रति मास |
|-------------------|--------------|
| 5 से 8 कि० मी०    | 200/-        |
| 8 कि० मी० से अधिक | 300/-        |

आदेशानुसार

प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

दिनांक: 23-07-2011.

पृष्ठांकन संख्या: शिक्षा-11-छ (5)-2/2009-लूज.  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-


1. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हि० प्र० शिमला-171001.
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हि० प्र० शिमला-171001.
3. विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन हि० प्र० सरकार, शिमला-171002 को मन्त्रिमण्डल द्वारा दिनांक 8/07/2011 को मद संख्या 9 के सन्दर्भ में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।
4. उपसचिव, वित्त विभाग(विनियम)/बजट हि० प्र० सरकार, शिमला-2.
5. सलाहकार योजना हि० प्र० शिमला-2.
1. गार्ड फाईल।

S. M. Chahal  
विशेष सचिव (उच्चतर शिक्षा)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या:ई0डी0एन0-एच(10)एफ(4)-39/2011 -प्रस्ताव दिनांक, 2011  
प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेष सचिव(उच्चतर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार को उनकी अधिसूचना संख्या:शिक्षा-11-छ(5)-2/2009-लूज दिनांक 23-7-2011 के अनुपालनार्थ ।
2. समस्त उप शिक्षा निदेशक(उच्चतर शिक्षा ) हिमाचल प्रदेश को "प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना " की अधिसूचना परिचालित की गई है । आपको निर्देश दिए जाते हैं कि अपने अधीनस्थ सभी रा0व0मा0पा/उच्च पाठशाला के लिए बजट मांग एक बार समेकित रूप से पाठशाला अनुसार तिथि 15.10.2011 तक इस निदेशालय को भेज दें, इसके पश्चात किसी भी प्रकार के बजट की मांग स्वीकृत नहीं की जाएगी ।
3. समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक रा0व0मा0पा0/उच्च पाठशाला सरकारी/अर्धसरकारी एवं अनुदान प्राप्त संस्थान को इस कथन के साथ "प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना" की अधिसूचना प्रेषित है कि बजट मांग उप शिक्षा निदेशक के माध्यम से इस निदेशालय को 15.10.2011 तक पहुंच जानी चाहिए । विलम्ब के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।
4. रक्षक नस्ति ।

नोट : सम्बन्धित अधिसूचना इस निदेशालय की Website ([www.educationhp.org](http://www.educationhp.org)) पर उपलब्ध है ।

  
शिक्षा निदेशक(उच्चतर)  
हिमाचल प्रदेश